संख्या - A-28019/1/2002—CLS-I

भारत सरकार

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2002

विषय: केंद्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का समापन

कृपया सीएलएस अधिकारी की एसीआर रिपोर्ट पूरा होने के संबंध में तीन फरवरी 1998 के मंत्रालय के ज्ञापन को देखें। वर्ष 2001-2002 के एसीआर रिपोर्ट के समापन के लिए निम्नलिखित समय-सूची का ठीक-ठीक पालन करना चाहिए-

(क) अधिकारी द्वारा की गई समीक्षा रिपोर्ट प्रतिवेदन अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए - 15 अप्रैल 2002

(ख) प्रतिवेदन अधिकारी को अपना मूल्यांकन रिपोर्ट समीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए - 30 अप्रैल 2002

(ग) श्रम मंत्रालय में प्राप्त किया जाना चाहिए - 15 मई 2002

2. सुरक्षा प्रेस, आयुध फैक्टरी, आर्मी यूनिट और प्रिटिंग प्रेस इत्यादि जैसे प्रतिष्ठान में नियुक्त अधिकारियों के एसीआर रिपोर्ट के पूरा होने पर मौजूद प्रणाली में कई विसंगतियां देखी गई हैं। इन अधिकारियों के लिए, 2001-2002 तक के एसीआर रिपोर्ट में अनुपालन किये जाने वाले मौजूदा कार्यविधि में निम्नलिखित संशोधन किए गए।

"संबंधित अधिकारी द्वारा की गई समीक्षा रिपोर्ट जैसे कि आयुध फैक्टरी के मामले में जनरल मैनेजर और आर्मी डिपो के मामले में कमांडेंट अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किए जाने बाद, एसीआर रिपोर्ट की समीक्षा उच्च अधिकारी द्वारा की जाएगी, उपरोक्त पैरा (1) में दी गई समय सूची के अनुसार समीक्षा अधिकारी एसीआर रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे।

3. भाग लेने वाले सभी मंत्रालयों /विभागों /संगठनों से अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखें और अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत नियुक्त सीएलएस अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों का पालन करने की सलाह दें।

(पद्मा बालसुब्रमण्यन)

भारत सरकार के संयुक्त सचिव

1. सभी संबंधित प्रतिष्ठान/संगठन (संलग्न सूची)
2. डब्ल्यू. आई. विभाग (10 अतिरिक्त प्रतियों के साथ)
3. सभी कल्याण आयुक्त/सहायक कल्याण आयुक्त
4. एसई विभाग, सीएलसी(सी) [सीएलएस विभाग के सूचना के तहत संबंधित उप सीएलसी(सी)/ आरएलसी(सी) के आवश्यक निर्देशों को जारी करने के लिए अतिरिक्त 30 प्रतियों के साथ]
5. सीएलएस। विभाग के लिए अतिरिक्त प्रतियां (150)